



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1974]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936

No. 1974]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

का.आ. 2499(अ)—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पता: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

ओखला पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीआर) में उस बिंदू पर अवस्थित है जहां यमुना नदी राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली(एनसीटी) को छोड़ती है और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है;

और ओखला पक्षी अभ्यारण्य की सीमाएं निम्नानुसार हैं:—

उत्तर : ओखला मेड और ओखला मेड बंध अभ्यारण्य की उत्तरी सीमाओं का निर्माण करते हैं। यमुना और हिंडन नदी डीएनडी फ्लाई ऑवर के पास के सेक्शन में अभ्यारण्य में प्रवेश करती है किंतु इस तरफ से फ्लाई ऑवर के लिए कोई प्रवेश नहीं है ;

दक्षिण: ओखला बैराज, टाई बंध, आम्रपाली मार्ग (वह मार्ग जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है) और शाहदरा नाला दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं। अधिकांश सीमा पर बाड़ है ;

पूर्व : बायां प्रवाह बंध पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। बायां प्रवाह बंध एक तटबंध है जो नजदीक के क्षेत्रों में जल के प्रवेश का निवारण करता है। यह 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसका उपयोग सड़क के रूप में किया जाता है ;

पश्चिम : दायां सीमांत बंध पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है। इस बंध का भागत: बाड़ द्वारा और भागत: एक दीवार द्वारा संरक्षण किया जाता है।

और ओखला पक्षी अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में जलीय पक्षियों के पर्यवास के रूप में जाना जाता है और प्रवासी तथा निवासी (लगभग 6,000 पक्षियों की 324 प्रजातियां) को सर्दियों के दौरान सूचीबद्ध किया गया है। इस अभ्यारण्य में आने वाले महत्वपूर्ण पक्षियों में कोमरिंट्स, हैरोन्स, इग्रेट्स, डार्टर, कूट, बत्तखें आदि शामिल हैं ;

और अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र तथा उसमें पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के प्रसार का सुधार करना और उनका विकास करना तथा उसके पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण आवश्यक है ;

और ओखला पक्षी अभ्यारण्य की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक के क्षेत्र का और उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण और संरक्षा करना आवश्यक हो गया है और पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से एक किलोमीटर क्षेत्र के भीतर और ओखला पक्षी अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा से 1.27 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक खनन कार्यकलापों का प्रतिषेध करना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में ओखला पक्षी अभ्यारण्य की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक के क्षेत्र को और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) की उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) ओखला पक्षी अभ्यारण्य की उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीटी) के दक्षिण पूर्व जिले से सौ मीटर से 1.27 किलोमीटर तक पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन वह क्षेत्र है जो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से सौ मीटर तक और ओखला पक्षी अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा से डीएनडी फ्लाई ऑवर तक नदी तल के विस्तार तक 1.27 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) के दक्षिणी पूर्वी जिले तक फैला हुआ है।

(3) ओखला पक्षी अभ्यारण्य के चारों ओर का पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना के **उपाबंध 1** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की बाहरी सीमा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उपदर्शित करने वाले निर्देशांक इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध 2** के रूप में संलग्न है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले दस शहरी क्षेत्र या ग्राम उनके स्थायी बिंदुओं पर अक्षांश और देशांतर सहित इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध 3** के रूप में उपाबद्ध हैं :

परंतु उपाबंध 3 पारिस्थितिक संवेदी जोन की संबंधित जोनल मास्टर योजना में राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यक्षीन होगा।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर योजना—(1) राज्य सरकार स्थानीय लोगों के साथ परामर्श से पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्थानीय लोगों और निम्नलिखित संबंधित राज्य विभागों में परामर्श से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए एक जोनल मास्टर योजना तैयार करेगी, अर्थात् :-

- (i) वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंधन ;
- (ii) उत्तर प्रदेश /दिल्ली पुलिस ;
- (iii) शहरी आवास विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) ग्रामीण प्रबंधन और विकास ;
- (vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ;
- (vii) लोक निर्माण विभाग/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग;
- (viii) भू-राजस्व; और
- (ix) आपदा प्रबंधन।

(2) जोनल मास्टर योजना निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, कैचमेंट क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य परिप्रेक्ष्यों जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है के लिए उपबंध करेगी।

(3) जोनल मास्टर योजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों की किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्रों और बागवानी क्षेत्रों, झीलों, अन्य जल निकायों और उद्यमी इकाइयों को चिन्हित करेगी।

(4) जोनल मास्टर योजना में ऐसे उपाय अंतर्विष्ट होंगे जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पैरा 4 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के विनियमन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) इस प्रकार तैयार जोनल मास्टर योजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ-साथ समाप्त होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वन, उद्यान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पार्क और मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का उपयोग या उनका संपरिवर्तन वाणिज्यिक या उद्योगों से संबंधित विकास कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि के संपरिवर्तन को राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजैडएमसी) की सिफारिशों पर और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से स्थानीय नागरिकों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मद संख्या 13 और मद संख्या 28 में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) वर्षा जल संचयन ;और

(ii) सुरक्षा बल शिविर :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-अभिलेखों में उत्पन्न होने वाली किसी त्रुटि का सुधार राज्य सरकार द्वारा एसईएसजैडएमसी के विचारों को अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक दशा में केवल एक बार किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त त्रुटि सुधार में किसी भी दशा में भूमि उपयोग में परिवर्तन सिवाय इस उप पैरा के अधीन उपबंधित के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) **पर्यटन**—पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के संनिर्माण की मंजूरी नहीं होगी ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(3) **नैसर्गिक विरासत** जो—पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसे प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(4) **ध्वनि प्रदूषण**—पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्कम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(5) **वायु प्रदूषण**—पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा।

(6) **बहिष्कारों का निस्सारण**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्कार जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा।

(7) **ठोस अपशिष्ट** :—(1) ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा।

(8) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **यानीय परिवहन**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी।

4. **पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी कार्यकलापों का प्रशासन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 25) के उपबंधों के अनुसार होगा और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | प्रतिषिद्ध | विनियमित | अनुज्ञा प्राप्त | टिप्पणी |
|----------|--|------------|----------|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां | हां | - | - | सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से सिवाय स्थानीय निवासियों की सद्भावपूर्वक घरेलू आवश्यकताओं के प्रतिषिद्ध हैं; (ख) खनन संक्रियाएं कठोरता से माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4.8.2006 के टी.एन. गोदावर्मा बनाम भारत संघ के रिट याचिका (सिविल) संख्या 1995 की 202 और तारीख 21.4.2014 के गोवा बनाम भारत संघ के रिट याचिका (सिविल) संख्या 2012 की 435 और तारीख 21.4.2014 में किए गए आदेशों के अनुसार होंगे। |
| 2. | वृक्षों की कटाई | - | हां | - | (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; संबंधित केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी। |
| 3. | आरा मशीनों की स्थापना | हां | - | - | |
| 4. | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना करना | हां | - | - | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषणकारी नए उद्योग या विद्यमान उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। |
| 5. | किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन | हां | - | - | |
| 6. | वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना | हां | - | - | पारिस्थितिक संवेदी जोन में तत्काल प्रभाव से कोई नए वाणिज्यिक होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे। |
| 7. | जलाने की लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग | हां | - | - | |
| 8. | कृषि प्रणाली में प्रबल परिवर्तन | | हां | - | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|---|
| 9 | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है। | - | हां | - | (क) भूमि के अधिभोगी की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। |
| 10. | नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना | हां | - | - | |
| 11. | बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का संनिर्माण | - | हां | - | अंडरग्राउंड केबिलिंग का संवर्धन करना। |
| 12. | स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन | - | - | हां | इनमें से कुछ कार्यकलापों के गहन विस्तार को तथापि मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए। |
| 13. | वर्षा जल संचयन | - | - | हां | सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाए। |
| 14. | होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना | - | हां | - | |
| 15. | वनस्पतिक बाड़ लगाना | | | हां | |
| 16. | जैविक खेती | - | - | हां | सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा। |
| 17 | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण | - | हां | - | उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा। |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|--|
| 18. | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन | - | हां | - | वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए । |
| 19. | विदेशी प्रजातियों को लाना | - | हां | - | |
| 20. | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे अभ्यारण्य के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि । | - | हां | - | |
| 21. | पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों का संरक्षण | - | हां | - | |
| 22. | प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अननुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण | हां | - | - | |
| 23. | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण | - | हां | - | उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । |
| 24. | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग | - | हां | - | |
| 25. | सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना | - | - | हां | सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा । |
| 26. | नए काष्ठ आधारित उद्योग | हां | - | - | पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । |
| 27. | संनिर्माण क्रियाकलाप | हां | - | - | पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के जिसके अंतर्गत मद संख्या 12 और 28 पर सूचीबद्ध कार्यकलाप हैं । |
| 28. | सुरक्षा बल शिविर | | हां | | |
| 29. | प्लास्टिक के थैलों का उपयोग | हां | - | - | |

5. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली (एनसीटी) प्रत्येक के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) **उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-**

- (i) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार - अध्यक्ष ;
- (ii) मुख्य वन्य जीव वार्डन, उत्तर प्रदेश सरकार - सदस्य ;
- (iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य
- (iv) सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
- (v) सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्व अर्जन नगर, दिल्ली - सदस्य ;
- (vi) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि- सदस्य
- (vii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विषय विशेषज्ञ - सदस्य ;
- (viii) प्रधान सचिव, पर्यावरण और वन, उत्तर प्रदेश सरकार - सदस्य
- (ix) प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार - सदस्य
- (x) प्रधान सचिव, आवास और शहरी योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार - सदस्य ;
- (xi) प्रधान सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार - सदस्य ;
- (xii) प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार - सदस्य ;
- (xiii) संबंधित जिला कलेक्टर-सदस्य ;
- (xiv) संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी- सदस्य ;
- (xv) प्रधान वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश सरकार-सदस्य सचिव।

(ख) **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-**

- (i) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली- अध्यक्ष ;
- (ii) मुख्य वन्य जीव वार्डन, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली- सदस्य ;
- (iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि- सदस्य
- (iv) सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
- (v) सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्व अर्जन नगर, दिल्ली - सदस्य ;
- (vi) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि-सदस्य
- (vii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विषय विशेषज्ञ - सदस्य ;

- (viii) प्रधान सचिव, पर्यावरण और वन, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली - सदस्य
- (ix) प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली - सदस्य
- (x) प्रधान सचिव, आवास और शहरी योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली - सदस्य ;
- (xi) प्रधान सचिव, कृषि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली- सदस्य ;
- (xii) प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली - सदस्य ;
- (xiii) संबंधित जिला कलेक्टर-सदस्य;
- (xiv) संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी- सदस्य;
- (xv) प्रधान वन संरक्षक (वन्य जीव), राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली - सदस्य सचिव।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की गई कार्रवाई की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष की 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को **उपाबंध IV** में दिए गए प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।


6. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हैं के अधीन हैं।

[फा. सं. 25/20/2014/ई.एस.जेड.-आरई]

डा. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- 1

ओखला पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीआर) के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के मानचित्र के साथ बाहरी अक्षांश और रेखांश



उपाबंध-2

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन ओखला पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली के चारों ओर के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के महत्वपूर्ण बिंदुओं और बाहरी सीमाओं को दर्शाने वाले निर्देशांक

| क्र.सं. | बिंदु | रेखांश | | | अक्षांश | | |
|---------|-------|--------|------|--------|---------|------|--------|
| | | डिग्री | मिनट | सेकेंड | डिग्री | मिनट | सेकेंड |
| 1. | A | 28 | 34 | 24 | 77 | 18 | 27 |
| 2. | B | 28 | 33 | 51 | 77 | 18 | 50 |
| 3. | C | 28 | 33 | 18 | 77 | 19 | 13 |
| 4. | D | 28 | 33 | 1 | 77 | 19 | 7 |
| 5. | E | 28 | 32 | 38 | 77 | 18 | 40 |
| 6. | F | 28 | 32 | 48 | 77 | 18 | 31 |
| 7. | G | 28 | 32 | 46 | 77 | 18 | 22 |
| 8. | H | 28 | 32 | 59 | 77 | 18 | 6 |
| 9. | I | 28 | 33 | 26 | 77 | 17 | 45 |
| 10. | J | 28 | 33 | 59 | 77 | 17 | 34 |
| 11. | K | 28 | 34 | 2 | 77 | 17 | 41 |
| 12. | L | 28 | 34 | 28 | 77 | 17 | 15 |
| 13. | M | 28 | 34 | 32 | 77 | 17 | 17 |
| 14. | N | 28 | 34 | 35 | 77 | 17 | 16 |
| 15. | O | 28 | 34 | 46 | 77 | 17 | 44 |
| 16. | P | 28 | 34 | 38 | 77 | 18 | 7 |
| 17. | Q | 28 | 34 | 21 | 77 | 18 | 21 |

उपाबंध 3

प्रस्तावित ओखला पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले शहरी क्षेत्र/ग्रामों की सूची

| क्रम सं. | राज्य | शहरी क्षेत्र/ग्राम का नाम | बिंदु | रेखांश | | | अक्षांश | | | तहसील | जिला |
|----------|--------------|--|-------|--------|------|--------|---------|------|--------|---------|---------------------|
| | | | | डिग्री | मिनट | सेकेंड | डिग्री | मिनट | सेकेंड | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश | सेक्टर 95, नोएडा | बी | 28 | 33 | 51 | 77 | 18 | 50 | दादरी | गौतम बुद्ध नगर |
| 2. | उत्तर प्रदेश | छलेरा औरंगाबाद | सी | 28 | 33 | 18 | 77 | 19 | 13 | दादरी | गौतम बुद्ध नगर |
| 3. | उत्तर प्रदेश | नयावांस | पी | 28 | 34 | 38 | 77 | 18 | 7 | दादरी | गौतम बुद्ध नगर |
| 4. | दिल्ली | शाहीन बाग | जी | 28 | 32 | 46 | 77 | 18 | 22 | मैहरोली | दक्षिण पूर्व दिल्ली |
| 5. | दिल्ली | जसोला | एच | 28 | 32 | 59 | 77 | 18 | 6 | मैहरोली | दक्षिण पूर्व दिल्ली |
| 6. | दिल्ली | अबुल फजल एन्क्लेव | आई | 28 | 33 | 26 | 77 | 17 | 45 | मैहरोली | दक्षिण पूर्व दिल्ली |
| 7. | दिल्ली | ओखला | जे | 28 | 33 | 59 | 77 | 17 | 34 | मैहरोली | दक्षिण पूर्व दिल्ली |
| 8. | दिल्ली | कैनाल कॉलोनी, उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग | आई-ए | 28 | 33 | 54 | 77 | 17 | 35 | मैहरोली | दक्षिण पूर्व दिल्ली |
| 9. | दिल्ली | जोगाबाई | के | 28 | 34 | 2 | 77 | 17 | 41 | मैहरोली | दक्षिण पूर्व दिल्ली |
| 10. | दिल्ली | खिजराबाद | एल | 28 | 34 | 28 | 77 | 17 | 15 | मैहरोली | दक्षिण पूर्व दिल्ली |

उपाबंध 4

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा-राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और डाटा
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2014

S.O.2499(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bag Road, Ali Ganj, New Delhi-110003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, Okhla Bird Sanctuary is located in the National Capital Region (NCR) at the point where the river Yamuna leaves the territory of the National Capital Territory of Delhi (NCT) and enters the State of Uttar Pradesh.

And whereas, the boundaries of Okhla Bird Sanctuary are as follows:-

North: The Okhla Weir and Okhla Weir Bund forms the Northern boundary of the Sanctuary. River Yamuna and Hindon Cut enter the Sanctuary from the section close to DND flyover but there is no entry to the flyover from this side;

South: The Okhla barrage Tie Bund, Amrapali Marg (a road that connects Delhi and Noida) and Shahdara drains forms the Southern boundary. Most of this boundary is fenced;

East: Left afflux bund forms the Eastern boundary. The left afflux Bund is the dyke that prevents water from entering the nearby areas. It is 2.5 kilometers long and is used as a road;

West: The right Marginal Bund forms the western boundary of the sanctuary. This bund is protected partly by a fence and partly by a wall.

And whereas, the Okhla Bird Sanctuary is known for its aquatic habitat of large number and variety of migratory and resident birds (about 324 species of about 6000 birds) have been listed during winters. Important birds visit the sanctuary includes different species of Cormorants, Herons, Egrets, Darter, Koot, Ducks, etc;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Sanctuary and to propagate improvement of and develop the different species of birds therein and its environment;

And whereas, it has become necessary to conserve and protect the area up to one hundred meter from the eastern, western and southern boundary and up to 1.27 kilometers from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary as an Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit any commercial mining activities within one kilometer area from the eastern, western and southern boundary and within 1.27 kilometers area from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to one hundred meter from the eastern, western and southern boundary and an area up to 1.27 kilometers from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary in the State of Uttar Pradesh and the National Capital Territory of Delhi (NCT), as the Eco-sensitive Zone (hereinafter called as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The extent of Eco-sensitive Zone ranges from 100 meters to 1.27 kilometers from the boundary of the Okhla Bird Sanctuary in the district of Gautam Budh Nagar of Uttar Pradesh and South East District of the National Capital Territory of Delhi (NCT).

(2) The Eco-sensitive Zone is the area up to one hundred meter from the eastern, western and southern boundary and up to 1.27 kilometers from the northern boundary of the Okhla Bird Sanctuary up to DND fly over across the river bed, situated in Gautam Budh Nagar district of Uttar Pradesh and South East district of N.C.T. Delhi.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone around Okhla Bird Sanctuary is appended to this notification as **Annexure I.**

- (4) The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone is appended to this notification as **Annexure-II**.
- (5) The list of 10 Urban Areas or villages falling within the Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points are appended to this notification as **Annexure III**:

Provided that the Annexure III shall be subject to confirmation by the State Governments in the respective Zonal Master Plans of the Eco-Sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1)The State Governments shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan with respect to their States, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, in consultation with the local people and with the following concerned State Departments, namely:-

- (i) Forest, Environment and Wildlife Management;
- (ii) Uttar Pradesh / Delhi Police;
- (iii) Urban Housing Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Rural Management and Development;
- (vi) Irrigation and Flood Control;
- (vii) Public Works Department / Central Public Works Department ;
- (viii) Land Revenue; and
- (ix) Disaster Management.

(2) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(3) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(4) The Zonal Master Plan shall contain the measures as may be specified by the Central Government or the State Government, for regulation of activities specified under column (2) of the table specified in paragraph 4.

(5) The Zonal Master Plan so prepared shall be co-terminus with the regional development plan.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land Use.-**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC), and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed at item numbers 13 and 28 specified under column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) Rainwater harvesting, and
- (ii) Security Forces Camp:

Provided further that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of SESZMC, only once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(2) **Tourism.-** The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone which shall form part of the Zonal Master Plan shall be as under, namely:-

- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Ministry of Tourism and by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the SESZMC.

(3) **Natural heritage.**-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and be preserved and proper plan be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(4) **Noise pollution.**- The Environment Department or the State Forest Department of Uttar Pradesh / NCT of Delhi shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(5) **Air pollution.**-The Environment Department or the State Forest Department of Uttar Pradesh / NCT of Delhi shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(6) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(7) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(8) **Bio-medical waste.**-The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(9) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

| Sl. No. | Activity | Prohibited | Regulated | Permitted | Remarks |
|---------|--|------------|-----------|-----------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Commercial Mining, stone quarrying and crushing units. | Yes | - | - | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Felling of trees. | - | Yes | - | (a) There shall be no felling of |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|--|
| | | | | | trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. |
| 3. | Setting up of saw mills. | Yes | - | - | |
| 4. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | Yes | - | - | No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 5. | Use or production of any hazardous substances. | Yes | - | - | |
| 6. | Commercial establishment of hotels and resorts. | Yes | - | - | No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 7. | Commercial use of firewood. | Yes | - | - | |
| 8. | Drastic change of agriculture system | - | Yes | - | |
| 9. | Commercial water resources including ground water harvesting. | - | Yes | - | (a)The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |
| 10. | Establishment of new major hydroelectric projects. | Yes | - | - | |
| 11. | Erection of electrical cables and telecommunication towers. | - | Yes | - | Promote underground cabling. |
| 12. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries. | - | - | Yes | Excessive expansion of some of these activities should however be regulated as per the master plan. |
| 13. | Rain water harvesting. | - | - | Yes | Shall be actively promoted. |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|--|
| 14. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | - | Yes | - | |
| 15. | Vegetative fencing | | | Yes | |
| 16. | Organic farming. | - | - | Yes | Shall be actively promoted. |
| 17. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | - | Yes | - | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable. |
| 18. | Movement of vehicular traffic at night. | - | Yes | - | For commercial purpose. |
| 19. | Introduction of exotic species. | - | Yes | - | |
| 20. | Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc. | - | Yes | - | |
| 21. | Protection of hill slopes and river banks. | - | Yes | - | |
| 22. | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Yes | - | - | |
| 23. | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area. | - | Yes | - | Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed. |
| 24. | Commercial Sign boards and hoardings. | - | Yes | - | |
| 25. | Adoption of green technology for all activities. | - | - | Yes | Shall be actively promoted. |
| 26. | New wood based industry. | Yes | - | - | No establishment of new wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 27. | Construction activities | Yes | - | - | No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 12, and 28. |
| 28. | Security Forces Camp | | Yes | | |
| 29. | Use of plastic carry bags. | Yes | - | - | |

5. **State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee each for the State of Uttar Pradesh and for the NCT of Delhi to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC), as under:-

A. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Uttar Pradesh comprising of the following members, namely:-

- (i) Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh- Chairman;
- (ii) Chief Wildlife Warden, Government of Uttar Pradesh - Member;
- (iii) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change –Member;

- (iv) Member Secretary, Uttar Pradesh State Pollution Control Board-Member;
- (v) Member Secretary, Central Pollution Control Board, East Arjun Nagar, Delhi -Member;
- (vi) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment– Member;
- (vii) One subject expert in the field of Ecology and Environment- Member;
- (viii) Principal Secretary, Environment and Forests, Government of Uttar Pradesh – Member;
- (ix) Principal Secretary Revenue Department, Government of Uttar Pradesh – Member;
- (x) Principal Secretary Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh – Member;
- (xi) Principal Secretary Agriculture Department, Government of Uttar Pradesh – Member;
- (xii) Principal Secretary, Department of Irrigation, Government of Uttar Pradesh – Member;
- (xiii) Concerned District Collector -Member;
- (xiv) Concerned Divisional Forest Officer – Member;
- (xv) Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife), Government of Uttar Pradesh – Member Secretary.

B. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for NCT Delhi comprising of the following members, namely:-


- (i) Chief Secretary to the Government of NCT of Delhi- Chairman;
 - (ii) Chief Wildlife Warden, Government of NCT of Delhi - Member;
 - (iii) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change –Member;
 - (iv) Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee-Member;
 - (v) Member Secretary, Central Pollution Control Board, East Arjun Nagar, Delhi -Member;
 - (vi) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment – Member;
 - (vii) One subject expert in the field of Ecology and Environment- Member;
 - (viii) Principal Secretary, Environment and Forests, Government of NCT of Delhi – Member;
 - (ix) Principal Secretary Revenue Department, Government of NCT of Delhi – Member;
 - (x) Principal Secretary Housing and Urban Planning Department, Government of NCT of Delhi – Member;
 - (xi) Principal Secretary Agriculture Department, Government of NCT of Delhi – Member;
 - (xii) Principal Secretary, Department of Irrigation, Government of NCT of Delhi – Member;
 - (xiii) Concerned District Collector -Member;
 - (xiv) Concerned Divisional Forest Officer – Member;
 - (xv) Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife), Government of NCT of Delhi – Member Secretary.
- (2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Member Secretary of the SESZMC or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change as per pro forma given in **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.
6. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F. No. 25/20/2014-ESZ/RE]

Dr. G.V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary around Okhla Bird Sanctuary, National Capital Region (NCR) together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Annexure II

Coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone around Okhla Bird Sanctuary, Uttar Pradesh and NCT of Delhi.

| S. No. | Point | Latitude | | | Longitude | | |
|--------|-------|----------|----|----|-----------|----|----|
| | | D | M | S | D | M | S |
| 1 | A | 28 | 34 | 24 | 77 | 18 | 27 |
| 2 | B | 28 | 33 | 51 | 77 | 18 | 50 |
| 3 | C | 28 | 33 | 18 | 77 | 19 | 13 |
| 4 | D | 28 | 33 | 1 | 77 | 19 | 7 |
| 5 | E | 28 | 32 | 38 | 77 | 18 | 40 |
| 6 | F | 28 | 32 | 48 | 77 | 18 | 31 |
| 7 | G | 28 | 32 | 46 | 77 | 18 | 22 |
| 8 | H | 28 | 32 | 59 | 77 | 18 | 6 |
| 9 | I | 28 | 33 | 26 | 77 | 17 | 45 |
| 10 | J | 28 | 33 | 59 | 77 | 17 | 34 |
| 11 | K | 28 | 34 | 2 | 77 | 17 | 41 |
| 12 | L | 28 | 34 | 28 | 77 | 17 | 15 |
| 13 | M | 28 | 34 | 32 | 77 | 17 | 17 |
| 14 | N | 28 | 34 | 35 | 77 | 17 | 16 |
| 15 | O | 28 | 34 | 46 | 77 | 17 | 44 |
| 16 | P | 28 | 34 | 38 | 77 | 18 | 7 |
| 17 | Q | 28 | 34 | 21 | 77 | 18 | 21 |

Annexure III

List of Urban Area / Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Okhla Bird Sanctuary, Uttar Pradesh and NCT of Delhi.

| S. No. | States | Name of Urban Area/ Village | Point | Latitude | | | Longitude | | | Tehsil | District |
|--------|--------|--------------------------------------|-------|----------|----|----|-----------|----|----|----------|------------------|
| | | | | D | M | S | D | M | S | | |
| 1. | U.P. | Sector-95, NOIDA | B | 28 | 33 | 51 | 77 | 18 | 50 | Dadri | GautamBudh Nagar |
| 2. | U.P. | Chhalera Orangabad | C | 28 | 33 | 18 | 77 | 19 | 13 | Dadri | GautamBudh Nagar |
| 3. | U.P. | Nayabans | P | 28 | 34 | 38 | 77 | 18 | 7 | Dadri | GautamBudh Nagar |
| 4. | Delhi | Shaheen Bagh | G | 28 | 32 | 46 | 77 | 18 | 22 | Mehrauli | South East Delhi |
| 5. | Delhi | Jasola | H | 28 | 32 | 59 | 77 | 18 | 6 | Mehrauli | South East Delhi |
| 6. | Delhi | AbulFazal Enclave | I | 28 | 33 | 26 | 77 | 17 | 45 | Mehrauli | South East Delhi |
| 7. | Delhi | Okhla | J | 28 | 33 | 59 | 77 | 17 | 34 | Mehrauli | South East Delhi |
| 8. | Delhi | Canal Colony, U.P. Irrigation Deptt. | I-A | 28 | 33 | 54 | 77 | 17 | 35 | Mehrauli | South East Delhi |
| 9. | Delhi | JogaBai | K | 28 | 34 | 2 | 77 | 17 | 41 | Mehrauli | South East Delhi |
| 10. | Delhi | Khizrabad | L | 28 | 34 | 28 | 77 | 17 | 15 | Mehrauli | South East Delhi |

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report: - State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and data of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main not worthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan (Eco-sensitive Zone wise).
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under EIA Notifications, 2006 (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under EIA Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986. (Eco-sensitive Zone wise).
8. Any other matter of importance.